भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4146
दिनांक 30.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत संदूषण और शिकायतें

4146 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2023 से अब तक जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय अनियमितताओं, अधूरे कार्यों या गैर-कार्यात्मक नल कनेक्शनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ख) उन बस्तियों की संख्या कितनी है, जहाँ वर्ष 2023 से अब तक निर्धारित सेवा स्तर मानदंडों से कम आपूर्ति मिलने की सूचना प्राप्त हुई है;
(ग) जल-संकटग्रस्त, रेगिस्तानी, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में उन जिलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है, जहाँ आज की तिथि तक जल स्रोत की संधारणीयता से जुड़ी समस्याएं दर्ज की गई हैं; और
(घ) क्या धीमी प्रगति या तकनीकी क्षमता संबंधी अवरोधों के कारण किसी भी राज्य में मिशन की समय-सीमा बढ़ाई गई है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल जल कनेक्शन (55 एलपीसीडी, बीआईएस: 10500 मानक पर) प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है। पेयजल 'राज्य' का विषय है और इसलिए, ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना और उन्हें कार्यान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 08.03.2026 तक, लगभग 12.59 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 08.03.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.82 करोड़ (81.72%) से

अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना है।

राज्यों ने सूचित किया है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की उपस्थिति, असमान भौगोलिक क्षेत्र, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, ग्राम अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना के संचालन और रखरखाव हेतु स्थानीय ग्रामीण समुदायों की क्षमता में कमी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, जेजेएम के तहत अन्य योजनाओं जैसे वीबी-जी राम जी, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग के अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, एमपी/एमएलए-एलएडी निधियों, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि, सामुदायिक अंशदान आदि के साथ तालमेल में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के प्रावधानों की भी परिकल्पना की गई है। इस विभाग ने जेजेएम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) बसावटों, आकांक्षी जिलों, सूखा प्रवण क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए 729 जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठकें भी की हैं। नल कनेक्शनों का राज्य-वार और जिला-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है:
https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत वित्तीय अनियमितताओं और कार्यों की खराब गुणवत्ता गैर-कार्यशील नल कनेक्शनों और संबंधित मुद्दों के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न स्रोतों जैसे मीडिया रिपोर्टों, स्वत: संज्ञान, जन प्रतिनिधियों, नागरिकों, शिकायत पोर्टल आदि के संदर्भ से कुल 18,790 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य-वार ब्यौरा **संलग्न** है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेजेएम को संवर्धित परिव्यय के साथ दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें सभी चल रहे कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना शामिल है।

***

अनुबंध

दिनांक 30.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4146 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिकायतों की कुल संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	1226
5	बिहार	0
6	छत्तीसगढ	329
7	दमण दीव एवं दादरा नगर हवेली	0
8	गोवा	0
9	गुजरात	1
10	हरियाणा	4
11	हिमाचल प्रदेश	3
12	जम्मू एवं कश्मीर	24
13	झारखंड	152
14	कर्नाटक	169
15	केरल	25
16	लद्दाख	1
17	लक्षद्वीप	0
18	मध्य प्रदेश	37
19	महाराष्ट्र	154
20	मणिपुर	19
21	मेघालय	8
22	मिजोरम	1
23	नागालैंड	14
24	ओडिशा	4
25	पुदुचेरी	0
26	पंजाब	6
27	राजस्थान	176
28	सिक्किम	0
29	तमिलनाडु	45
30	तेलंगाना	0
31	त्रिपुरा	1
32	उत्तर प्रदेश	16178
33	उत्तराखंड	40
34	पश्चिम बंगाल	173
	कुल	**18790**